राजस्थान–सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भुविज्ञान विभाग राजसमन्द खण्ड द्वितीय।

क्रमांकः–ख.अ./राज–II/अवैध खनन/नीलामी/2023–24/ दिनांक

–:नीलामी विज्ञप्तिः–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजसमन्द जिले में अवैध खनन/निर्गमन चैकिगं के दौरान जब्तशुदा खनिज बजंरी की नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदाएं दिनांक 20.02.2024. को प्रातः11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता राजसमन्द (खनिज भवन भीलवाडा बाईपास रोड आर.के. होस्पीटल के सामने राजसमन्द खण्ड द्वितीय) के अवैध खनन शाखा में आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त सीलबन्द निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 21.02.2024 को प्रतः 11बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष कार्यालय के तकनीकी शाखा में खोली जायेगी जिस किसी को इस नीलामी में भाग लेना हैं, निविदा फार्म कार्यालय में राशि रुपये 100/–जमा करा प्राप्त कर नियत तिथि को निम्न विवरण बयाना राशि जरिये डीडी/बैकर्स चैक सहित निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र. सं.	नीलामी सूचना संख्यां	जब्तशुदा खनिज के स्थान का विवरण			जब्तशुदा खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना /अमानत राशि (रु0 में)	न्यूनतम निविदा राशि (रु0 में)	खनिज
		निकट ग्राम	तहसील	जिला				
1	206/02.01.2024	कार्यालय परिसर	राजसमन्द	राजसमन्द	20	1250	12500	बजरी
2	218/15.01.2024	जगपुरा	रेलमगरा	राजसमन्द	30	1875	18750	बजरी

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेंगीः–

1 निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल रेलमगरा एवं राजसमन्द का नाम जहाँ बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमन्द खण्ड द्वितीय के तकनीकी शाखा में रखें टेन्डर बोक्स में दिनांक 20.02.2024 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक डाली जा सकेगी।

2 प्रत्येक निविदा के साथ ऊपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चौक जो संबंधित खनि अभियन्ता राजसमन्द खण्ड द्वितीय के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चौक अलग–अलग ही संलग्न करने होगे। निविदा राशि 10 रू० प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।

3 निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों /कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विमाग की कोई राशि बकाया नही है।

4 जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है।

5 जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।

6 प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 21.02.2024 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमन्द खण्ड द्वितीय तकनीकी शाखा में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्य दिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि ऑनलाईन विभागीय मद में जमा करायेगें। राशि जमा होने की तिथि से 15 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा बयाना / अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।

7 निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्च) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।

8 निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई. डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्तयारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।

9 निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।

10 नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निद्रेशालय द्वारा गठित कमेठी के पास सुरक्षित होगें एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राजसमन्द होगा।

11 सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमन्द खण्ड द्वितीय द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेगें तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

12 12.500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

13 तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण अनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

14 नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगी स्थान पर परिवहन करेगा।

15 प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

16 शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

(गोपाल बच्छ)
खनि अभियन्ता
राजसमन्द खण्ड द्वितीय

क्रमांकः–ख.अ. / राज–II / अवैध खनन / नीलामी / 2023–24 / 114 दिनांक 7-2-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
2 श्रीमान् पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण ।
3 श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4 नोडल अधिकारी डी.एम.जी.ओ.एम.एस. निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5 श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर –जोन, उदयपुर ।
6 श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, राजसमन्द वृत राजसमन्द/(सतर्कता), उदयपुर।
7 खनि अभियन्ता, राजसमन्द खण्ड प्रथम/आमेट।
8 कोषाधिकारी कोष कार्यालय राजसमन्द।
9 तकनीकी स्टाफ कार्यालय हाजा. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(गोपाल बच्छ)
खनि अभियन्ता
राजसमन्द खण्ड द्वितीय